संख्या-11/2023/127/12-5-2023-ब0-06/2017

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी,2023**

विषयः- प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना को आगामी 05 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) प्रदेश में संचालित किया जाना।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि किसानों के हित लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर कृषि सेक्टर में रोजगार सृजन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 से "प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना" क्रियान्वित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) बैनर तले समस्त सुविधाएं "वन स्टॉप शॉप" के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। योजना संचालन के प्रारम्भ वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक कुल 4311 एग्रीजंक्शन केन्द्र प्रदेश में स्थापित किये जा चुके हैं।

2- सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना को आगामी चरण में अगले 05 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) कुल 10,000 एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापित करने के लक्ष्य हेतु संचालित किये जाने तथा पूर्व से संचालित योजना में कतिपय संशोधन किये जाने हेतु निम्नानुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

3- <u>योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है</u> :-

(i) एग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शॉप) केन्द्रों के माध्यम से निम्न सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा।

(क) उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएन्टस्, वर्मीकम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति।

(ख) प्रसार सेवाएं तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।

(ग) मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्गदर्शन देना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(घ) लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

(ड.) विभिन्न कृषि योजनाओं/स्कीम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के संबंध में परामर्शी सेवाएं दिये जाने एवं प्रचार हेतु एग्रीजंक्शन केन्द्रों पर LCD/AV Aids के लगाये जाने की व्यवस्था।

उक्त के अतिरिक्त एग्रीजंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण, पशुआहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री मौसम/विपणन व अन्य सम्बंधित सूचनाएं किसानों को उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं।

4- कार्य क्षेत्र :- प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त विकास खण्ड।

5- भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :-

योजनान्तर्गत राज्य में आगामी 05 वर्षों में कुल 10,000 एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना का भौतिक लक्ष्य है। इस प्रकार योजना अन्तर्गत प्रदेश की सभी विकास खण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित ''वन स्टाप शाप'' पर किसान गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश एवं कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वरोजगार के लिए सक्षम होंगे।

राज्य सरकार द्वारा प्रति एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु औसतन धनराशि रू. 85450 व्यय अनुमानित है :-

(एक एग्रीजंक्शन केन्द्र पर प्रस्तावित औसत व्यय रू० 85450 का मदवार विवरण)

क्र सं0	कार्य विवरण	धनराशि
1	ऋण सीमा की धनराशि रूपये 5.00 लाख पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम प्रति केन्द्र (बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में) परियोजना पर बैंक ऋण स्वीकृति रूपये 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैंक एंडेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा।	60,000
2	परिसर किराया 50 प्रतिशत प्रति माह अधिकतम रूपये 12000/- किराया (रू० 1000/- प्रतिमाह केवल प्रथम वर्ष के लिए)	12,000
3	निवेशों पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति कृषि निवेशवार लाइसेन्स शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण :- बीज लाइसेन्स शुल्क (रूपये 1000/-प्रति केन्द्र) उर्वरक लाइसेन्स सामान्य क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रूपये 1250/- प्रति केन्द्र) i) कीटनाशी रसायन लाइसेन्स शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रो हेतु शुल्क (रू० 7500/- प्रति केन्द्र) ii) कीटनाशी रसायन लाइसेन्स ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रू० 1500/- प्रति केन्द्र) (नोट : औसतन लक्ष्य का अधिकतम 25% शहरी क्षेत्र में आच्छादन के आधार पर स्थापित होने वाले केन्द्रों हेतु अनुमानित औसत)	5,250
4	13 दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन, विज्ञापन, स्टेशनरी कार्यालय के अन्य विविध व्यय रू० 8200/- प्रति केन्द्र (प्रशिक्षण व्यय @ रू० 400/- लाभार्थी/प्रतिदिन, 13 दिन हेतु कुल रू० 5200 + अन्य व्यय रू० 3000)	8,200
योग		**85,450**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष 2015-16 (योजना प्रारम्भ वर्ष) के सापेक्ष वर्ष 2022-23 तक विभिन्न कृषि निवेशों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में लाभार्थी द्वारा समुचित रूप से व्यवसाय संचालन के दृष्टिगत योजनान्तर्गत बैंक ऋण की सीमा को रू0 5.00 लाख किया जाना उचित पाया गया है। बैंक ऋण की सीमा रू0 5.00 लाख लाभार्थी को अनुमन्य कराये जाने से अग्रिम ब्याज अनुदान (बैक एंडेड सब्सिडी) को भी रू0 42,000 से बढ़ाकर अधिकतम रू0 60,000 किया जाता है।

प्रशिक्षण की अवधि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम (Course Code NARQ 30021-AGRI) के अनुसार 13 दिवसीय किया जाता है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कौशल विकास की योजनाओं के लिए सामान्य मानदण्डों को संशोधित किये जाने के कारण प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजनान्तर्गत राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, समेती, रहमानखेड़ा, लखनऊ/आर-सेटीज (Rural Self Employment Training Institute) पर प्रत्येक चयनित लाभार्थी के 13 दिवसीय प्रशिक्षण एवं योजना के विविध व्यय हेतु प्रति लाभार्थी इस मद हेतु कुल रू० 8200/- के व्यय की अनुमन्यता योजनान्तर्गत किया जायेगा।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के मद में रूपये 647.17 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है। आगामी पांच वर्षों में वर्षवार एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत है:-

क्र सं	वित्तीय वर्ष	एग्रीजंक्शन स्थापना लक्ष्य	
		भौतिक लक्ष्य (संख्या)	वित्तीय भार अनुमानित (लाख रूपये में)
1	2022-23	756	647.17
2	2023-24	2311	1975.00
3	2024-25	2311	1975.00
4	2025-26	2311	1975.00
5	2026-27	2311	1975.00
कुल		10,000	8547.17

6- योजना का क्रियान्वयन :- योजना क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) एग्रीजंक्शन हेतु पात्रता :- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा– उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पुशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्दीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है, जो आई०सी०ए०आर०/यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इन्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर भी विचार किया जायेगा।

(ii) चयन प्रक्रिया :- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि में प्रशिक्षित युवाओं का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पात्रों की छंटनी (Screening) के उपरान्त किया जायेगा। इस समिति में मजिस्ट्रेट/मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक (कृषि विभाग), एल०डी०एम० एवं सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि० सदस्य होंगे। अन्य विभागों से संबंधित प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

जिला स्तर पर निम्न समिति का गठन किया जायेगा :-

1.	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	-	अध्यक्ष
2.	उप कृषि निदेशक	-	सदस्य/सचिव
3.	एल०डी०एम० एवं सचिव	-	सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी
4.	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	-	सदस्य
5.	कृषि विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष/वरिष्ठ वैज्ञानिक	-	सदस्य

चयन की प्रक्रिया जनपद में गठित समिति द्वारा पारदर्शी ढंग से की जाएगी। इस हेतु समिति द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्राप्त करते हुए शासनादेश में आयु सीमा के मानक के दृष्टिगत चयन सुनिश्चित किया जाएगा। पारदर्शी प्रतीक्षारत सूची भी श्रेणीबद्ध की जाएगी।

जनपद में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे कि अपरिहार्य परिस्थितियों में भी जनपदीय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति शत-प्रतिशत की जा सके। चयन के उपरान्त लाभार्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह घोषणा होगी कि तीन वर्ष तक उनके द्वारा 'वन स्टाप शॉप' का संचालन किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कृषि विभाग की समस्त योजनाओं से उन्हें प्रतिबन्धित (ब्लैक लिस्ट) कर दिया जायेगा तथा उन पर किये गये व्यय की विभाग द्वारा वसूली की जाएगी। चयनित लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को अवसर दिया जाएगा।

(iii) प्रति एग्रीजंक्शन कुल प्रोजेक्ट लागत :- रू० 6.00 लाख (अधिकतम)

(iv) ऋण सीमा :- रू० 5.00 लाख

(v) मार्जिन मनी :- रू० 1.00 लाख (प्रोजेक्ट लागत का 17.00 प्रतिशत) ऋणी आवेदक द्वारा अभिदान किया जायेगा। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्य होंगे। योजना का उद्देश्य क्रेडिट निवेश दर को बढ़ावा देकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश में कृषि पूंजी सृजित करना, ताकि **"वन स्टाप शाप"** के स्थापना से कृषकों का लाभान्वित किया जा सके।

(vi) ऋण वितरण :- प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरान्त।

(vii) लाक इन पीरियड :- 36 माह (7.5 प्रतिशत अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि 03 वर्षों के प्रस्तावित कार्य हेतु बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में अधिकतम रूपये 60,000/- की सीमा तक दी जायेगी, परन्तु लाभार्थी द्वारा ऋण खाता 03 वर्ष से पूर्व बन्द नहीं किया जाएगा)। ऋण स्वीकृति रूपये 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैंक एंडेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा।

(viii) परियोजना अवधि :- परियोजना पूर्ण होने की अवधि बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किस्त अवमुक्त/वितरण होने के पश्चात 6 माह होगी, जिसे ऋण स्वीकृता बैंक द्वारा समुचित कारण इंगित किये जाने की दशा में अधिकतम 3 माह तक और बढ़ाया जा सकेगा।

(ix) डाक्यूमेंटेशन :- बैंक में लागू डायरेक्ट एग्री सिग्मेन्ट अग्रिम के अनुसार।

(x) पुनर्भुगतान :- 03 माह के मोरैटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए 36 से 60 माह में किया जायेगा। पुनर्भुगतान शेड्यूल ऋण की सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सब्सिडी की धनराशि का समायोजन शुद्ध ऋण की धनराशि की भरपाई (liquidation) के पश्चात हो।

(xi) यदि परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो अनुदान (subsidy) की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी और यदि कोई अनुदान की धनराशि बैंक को दी गयी है तो वह संबंधित उप कृषि निदेशक को बैंक द्वारा वापस किये जाने की बाध्यता होगी तथा वापस होने वाली अनुदान की धनराशि उप कृषि निदेशक द्वारा राजकोष में जमा की जायेगी।

(xii) संबंधित बैंक परियोजना अन्तर्गत सृजित परिसंपतियों का बीमा भी सुनिश्चित करायेंगे।

(xiii) ऋण प्रदान करने वाले बैंक द्वारा निर्धारित अवधि में या समय-समय पर औचक निरीक्षण कर बैंक एन्डेड सब्सिडी हेतु उद्यमी की पात्रता की पुष्टि करनी होगी एवं विभाग को इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। बैंक द्वारा तीन साल के लाक इन अवधि के अंत में एक Consolidated रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी।

(xiv) बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को बैंक द्वारा "Subsidy Reserve Fund Account" में रखा जाएगा तथा इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जायेगा। उद्यमी का लोन खाता अलग संचालित किया जायेगा।

7- प्रशिक्षण एण्ड हैण्ड होल्डिंग :- चयनित आवेदकों को योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से प्रशिक्षण, राज्य कृषि प्रबन्ध विस्तार प्रशिक्षण संस्था (समेती, रहमानखेड़ा, लखनऊ/आर-सेटीज) द्वारा कम से कम 13 दिन का ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (आर०ई०डी०पी०) का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

8. योजना का वित्त पोषण :- योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।

9. प्रशिक्षित उद्यमियों के कर्तव्य एवं दायित्व :- एग्रीजंक्शन उद्यमी अपने क्षेत्र के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश आपूर्ति के साथ-साथ नवीनतम कृषि तकनीकी और विभागीय योजनाओं का प्रचार करेंगे। विभाग द्वारा संचालित मेला, गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और कृषि विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के प्रसार कार्यकर्ताओं को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। समय-समय पर कृषि विभाग के सहयोग से अपने ज्ञान को समुन्नत करते हुए स्वयं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाये रखेंगे।

10. योजना का अभिसरण :- एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषि के विविध आयामों से युक्त, सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए इस योजना का अभिसरण अन्य योजनाओं के साथ उक्त योजनाओं के अनुमन्य प्राविधानों और प्रचलित दिशा-निर्देशों में अनुमन्यता के अधीन किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

11. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :- योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक का होगा तथा मण्डल स्तर पर संयुक्त् कृषि निदेशक इसके पर्यवेक्षण हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी क्षेत्रीय स्थल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, कृषि एवं अपर कृषि निदेशक (प्रसार) योजना के नियंत्रण अधिकारी होंगे। एग्रीजंक्शन केन्द्रों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय समय पर किसानों से फीडबैक लिया जायेगा।

कृपया तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ,
8- अपर कृषि निदेशक (प्रसार) , कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ,
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक जनपदीय/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
10- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु,
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in